



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226004
CG-DL-E-19032021-226004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 96]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

सं. एस-16014/29/2006- एलडब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के कामकाज के बारे में विस्तार से जानने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

- | | |
|--|--------------|
| <p>i. श्री बृज बिहारी शर्मा
भारतीय मजदूर संघ
बुदिदिहा, सीटीपीएस रोड,
जिला बोकारो, झारखंड</p> | <p>सदस्य</p> |
| <p>ii. श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय
भारतीय मजदूर संघ
मकान 107, पो.ओ.- विश्रामपुर, कोलियारी
जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़</p> | <p>सदस्य</p> |

- | | | |
|------|--|---------------|
| iii. | श्री शिव कुमार यादव
अध्यक्ष
कोयला श्रमिक सभा
डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, सिविल लाइंस
कोल एस्टेट, नागपुर | सदस्य |
| iv. | श्री बी.के .भाटिया
संयुक्त महासचिव
भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (भा.ख.उ.महा.)
एफ.आई.एम.आई. हाउस
बी-311,ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1
नई दिल्ली-110020 | सदस्य |
| v. | उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
चंडीगढ़ | सदस्य संयोजक” |

3. प्रस्तावित समिति के संदर्भ की शर्तें निम्न प्रकार की होंगी :-

“पीजीआईएमईआर की नौकरी/कार्यों में अनुबंध श्रम प्रणाली के काम का अध्ययन करना और उपयुक्त सिफारिशें करना कि स्वच्छता सेवा (सफाई, सफाई और डस्टिंग) सुरक्षा सेवाओं के काम/कार्यों में अनुबंध श्रम का रोजगार है या नहीं अनुबंधित श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठान में भर्ती हुए मरीजों को संस्थान और खानपान सेवाएं निषिद्ध किया जाएगा। ”

4. समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा, समिति छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi the 18th March, 2021

No. S-16014/29/2006-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee comprising the following member to examine in detail the working of PGIMER, Chandigarh.

2. The composition of the Committee will be as under:-

- | | | |
|------|--|----------|
| “i. | Shri Brij Bihari Sharma,
Bharatiya Mazdoor Sangh, Budidiha,
CTPS Road, Dugda, District Boakro,
Jharkhand | : Member |
| ii. | Shri Surendra Kumar Pandey
Bharatiya Mazdoor Sangh
Qutr. 107 Po-Vishrampur Koliyari
District surajpur, Chhatishgarh | : Member |
| iii. | Shri Shiv Kumar Yadav,
President, Koyala Shramik Sabha
WCL Headquarter, Civil Lines
Coal Estate, Nagpur | : Member |

- iv. Shri B.K. Bhatia : Member
Joint Secretary General
Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)
FIMI House
B-311, Okhala Industrial Area, Phase-I
New Delhi-110020
- v. Dy. Chief Labour Commissioner (C) : Member Convener”
Chandigarh.

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :-

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of PGIMER and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in jobs/works of Sanitation Service (Cleaning, Sweeping & Dusting) Security Services (Watch and Ward of the Institute & Catering Services to the admitted patients in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

4. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh. The Committee shall submit its report within six month.

AJAY TEWARI, Jt. Secy.